

ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय कॉलोनी का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 13.05.2026 कार्यवाही विवरण

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007) एवं राजस्व ग्रुप-6 विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.6(26) राजस्व-6/14/33 दिनांक 06.10.2016 एवं कमांक एफ.6(26) राजस्व-6/2014/50 दिनांक 29.06.2021 में वर्णित प्रावधानों के तहत उपखण्ड क्षेत्र मौजमाबाद के निम्नांकित आवासीय कॉलोनी प्रकरणों लेआउट प्लान का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु इस कार्यालय में दिनांक 13.05.2026 को 04.00 पी0एम0 पर बैठक आयोजित की गई है जिसमें निम्नांकित अधिकारी गण उपस्थित हुए ।

- 1 उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद
- 2 सहा0 नगर नियोजन, जयपुर जोन
- 3 तहसीलदार मौजमाबाद

निम्नांकित प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया :-

क्र0सं0	खातेदार का नाम	राजस्व ग्राम एवं नाम तहसील	आ0नं0	रकबा	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	श्री विकास शर्मा पुत्र नरदेव लाल शर्मा निवासी B-32, 2 ND , FLOOR, SOUTH EXT-2, SOUTH DELHI, NEW DELHI	मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद	468 रकबा 5333 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के योजना	रकबा .5333 हैक्टर मे से रकबा 0.5333 हैक्टर	5333 वर्गमीटर

प्रस्तुत प्रकरणों में नगर नियोजक जयपुर की रिपोर्ट कमांक टीपीआर:1800/जेजेड/44 /मौजमाबाद/2025/398 दिनांक 14.08.2025 में अंकित शर्तों की पालना एवं राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007) एवं राजस्व ग्रुप-6 विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ.6(26) राजस्व-6/14/33 दिनांक 06.10.2016 में वर्णित प्रावधानों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी।

अतिरिक्त प्लान में भूखण्डों के मध्य दर्शाये गये 30 एवं 40 फीट चौड़ाई के रास्तों का मार्गाधिकार 30 एवं 40 फीट मेन्टेन रखा जायेगा अर्थात् मानचित्र में वर्णित रास्तों की चौड़ाई को मेन्टेन रखने के पश्चात ही भूखण्डों का विनिर्माण किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों में उपरोक्त अनुमोदित प्लान के अनुसार विक्रय विलेख में उल्लेख किया जायेगा ताकि भविष्य में किसी भी रूप में रोड, रास्ते, फूटपाथ व फेसिलीटी एरिया आरक्षित भूमि पर प्लान के विपरीत जाकर भूखण्ड क्रय कर्ता द्वारा विनिर्माण नहीं किया जा सकेगा तथा बेचा नहीं जायेगा। योजना मानचित्र में प्रस्तावित दुकानों विहित पार्किंग एरिया को पार्किंग हेतु ही उपयोग में लिया जावे। प्लान संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्न एनेक्जरन के रूप में रहेंगे।

योजना मानचित्र अनुसार कार्य-पूर्णता के सन्दर्भ में रजिस्टर्ड चार्टर्ड इंजिनियर DIVYAJEET MAROTHIYA (AM3007165) 104, Neelkanth Building, Gandhi Path Road, Vaishali Nagar, Jaipur, (Pin- 302021) द्वारा प्रेषित Completion Certificate of Residential Scheme दिनांक 17.03.2026 में उक्त आवासीय कॉलोनी के सम्बन्ध में ' I here by certify that above mentioned scheme AVANI


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला जयपुर



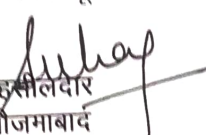


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मौजमाबाद जिला जयपुर

ENCLAVE PH-3. Approved by SUB DIVISIONAL OFFICER,
MAUZAMABAD EXPRESSWAY, JAIPUR - 303604 (RAJASTHAN)
Visited by me on 15-03-2026 & Development works are completed as
mentioned above & shown photographs attached as desired.

उक्त आवासीय योजना विहित अधिकारीगण द्वारा मौका निरीक्षण गया। रजि० चार्टेड इंजिनियर की
रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवासीय योजना का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद


तहसीलदार
मौजमाबाद


सहा०नगर नियोजक
जयपुर जोन